

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/ 2010

जयपुर, दिनांक

28 DEC 2010

आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा) को वर्तमान में मानदेय रु. 10000/- प्रतिमाह जिसमें रु. 3000/- ग्रामीण भत्ता एवं रु. 2000/- यात्रा भत्ता शामिल है, उसे संशोधित करते हुये कनिष्ठ तकनीकी सहायक का प्रतिमाह मानदेय रु. 13000/- जिसमें रु. 3000/- ग्रामीण भत्ता एवं रु. 2000/- यात्रा भत्ता शामिल है, निर्धारित किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 101004177 दिनांक 24.12.10 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार को दिनांक 18.11.10 की आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
8. लेखाशाखा, ईजीएस।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस